भा.वा.अ.शि.प.–शुष्क वन अनुसंधान संस्थान

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की स्वायत्तशासी संस्था
पी. ओ. कृषि उपज मण्डी, न्यू पाली रोड़, जोधपुर– 342005

ICFRE-ARID FOREST RESEARCH INSTITUTE

Indian Council of Forestry Research & Education,
An Autonomous Body of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Govt. of India
P.O. KrishiMandi, New Pali Road, Jodhpur- 342005

क्रमांक 1898/शुवअसं/स्था/21(7)/2025 दिनांकः 11 मार्च, 2025

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी(जोधपुर शहर)
केन्द्रीय कारागार रोड,
जोधपुर – 342011

महोदय,

लेख है कि भा.वा.अ.शि.प.–शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर कार्यालय व आवासीय परिसर न्यू पाली रोड, झालामण्ड चौराहा के पास स्थित है। यहाँ कार्यरत कार्मिकों व उनके परिवार को चिकित्सा सुविधाओं की जरुरत होती है। वर्तमान में प्राधिकृत चिकित्सा अटेंडेंट का कार्यकाल आगामी 31.03.2025 को पूर्ण होने के पश्चात् इस संस्थान में अंशकालिक/संविदा के आधार पर एक अनुभवी चिकित्सक की सेवाएं ली जानी वांछित है। चिकित्सक की सेवा शर्ते संलग्न है।

उपरोक्त के मद्देनजर जोधपुर के सरकारी चिकित्सालय में कार्यरत/सेवानिवृत व इच्छुक चिकित्सकों के नाम मय विवरण कृपया शीघ्र भिजवाने का अनुरोध है। ई–मेल **dir_afri@icfre.gov.in**

भवदीय

संलग्नः सेवा शर्ते।

Digitally signed by
Tarun Kant
Date: 11-03-2025
11:42:57

(डॉ0 तरुण कान्त)
निदेशक

प्रभारी अधिकारी, सूचना एवं प्रोद्योगिकी प्रकोष्ठ, भा.वा.अ.शि.प.-शु.व.अ.सं, जोधपुर को भेजकर अनुरोध है कि संस्थान की वेबसाईट पर अपलोड़ कराने का श्रम करावें।

12/03/2025

प्रभारी अधिकारी, स्थापना
OIC, Establishment
भावाअशिप-शुवअस, जोधपुर
ICFRE-AFRI, Jodhpur

भा.वा.अ.शि.प.-शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर में AMA पदस्थ किए जाने हेतु शर्ते

1. अधिकृत चिकित्सा अटेंडेंट की अनुबंध पर अंशकालिक सेवाओं हेतु समेकित पारिश्रमिक ₹22,000/- (रूपये बाईस हजार) मात्र प्रतिमाह के लिए होगा। अन्य कोई भत्ता देय नहीं है। उक्त राशि समय-समय पर संशोधन के अधीन है।
2. नामांकन अस्थायी तौर पर तीन माह के लिए होगा। आवश्यकतानुसार यह अवधि घटाई/बढ़ाई जा सकेगी।
3. अधिकृत चिकित्सा अटेंडेंट को केन्द्रीय सेवा नियम(मेडिकल अटेडेंस) 1944 तथा भारत सरकार एवं भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का पूर्ण रूप से पालन करना होगा।
4. अधिकृत चिकित्सा अटेंडेंट के रूप में नामित किया जाना आफरी (भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद) में स्थायी AMA होने का अधिकार प्रदान नहीं करता।
5. अधिकृत चिकित्सा अटेंडेंट आफरी डिस्पेंसरी जो कि आफरी मुख्य परिसर में आफरी कार्मिकों तथा उनके आश्रित पारिवारिक सदस्यों को बाह्य चिकित्सा रोगी के रूप में चिकित्सा परामर्श प्रदान करेंगे।
6. परामर्श का समय सोमवार से शनिवार सांय 5.00 बजे से न्यूनतम 2½ घण्टे का होगा। यद्यपि वह कार्यालयीन कार्य दिवसों के दौरान जो कि सोमवार से शुक्रवार तक हैं, होने वाली छुट्टियों का लाभ ले सकेंगे। शासकीय प्रयोजन से आवश्यकता होने पर चिकित्सक को बुलाने पर अपनी सेवाएं देनी अपेक्षित होगी।
7. उपर्युक्त निबंधन एवं शर्तो को आवश्यक होने पर निदेशक, भावाअशिप-शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर के विवेकाधिकार से संशोधित किया जा सकेगा।

Digitally signed by
Tarun Kant
Date: 11-03-2025
16:09:30